न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : राजेश कुमार ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 312/2023

जी.सी.एम.एस.संख्या :– 2023/509

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
करनाराम पुत्र गुणेशाराम जाति विश्नोई निवासी गोदावास कला तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा		1. घेवरराम पुत्र जोगाराम जाति विश्नोई निवासी गोदावास कलां तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा 2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कल्याणपुर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1.श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता प्रार्थी
2.श्री भंवरलाल विश्नोई अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1
3.विप्रार्थी संख्या 02 अनुपस्थित।

:आदेश :

दिनांक– 23.09.2024

1. प्रकरण का संक्षिप्त में सारवान तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी करनाराम पुत्र गुणेशाराम जाति विश्नोई निवासी गोदावास कलां तहसील–कल्याणपुर व जिला बालोतरा ने अपने खातेदारी भूमि खसरा संख्या 588/380 क्षेत्रफल 1.2520 हैक्टयर मौजा गोदावास कलां तहसील कल्याणपुर में कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिए विप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 591/379 में से 30 फीट चौड़ा रास्ता नजरी नक्शा बरंग लाल ए से बी कायम करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया हैं तथा संलग्न नक्शानुसार रास्ता नजदीक सरल एवं एकमात्र विकल्प होने के कारण प्रार्थी के खातेदारी जोत तक कृषि कार्य आवागमन हेतु उक्तानुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करने का निवेदन किया हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.26 20:42:51 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी के नोटिस तामील शुदा होने पर विप्रार्थी संख्या 01 की ओर से जरिए अधिवक्ता प्रार्थी के आवेदन–पत्र को स्वीकार करते हुए जवाब पेश कर आवेदन पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया। विप्रार्थी संख्या 02 तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

कल्याणपुर ने प्रकरण में जवाब पेश नहीं कर निर्धारित प्रारूप में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की,जो शामिल मिसल है।

3. तत्पश्चात् प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के आवेदन–पत्र के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में दर्शित मार्क ए से बी तक यानि विप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 591/379 भूमि में से 30 फीट बंरग लाल चौड़ा रास्ता आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु रास्ता घोषित किया जावें। उक्त रास्ता नजदीक सरल एवं सुगम रास्ता हैं,प्रार्थी के पास आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता विधमान नहीं है। अंत में निवेदन किया कि तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाता है,तो प्रार्थी को आपति नहीं है। प्रार्थी प्रस्तावित रास्ता की स्वीकृति के बदले क्षतिपूर्ति राशि जमा करवानें के लिए सहमत है।

4. इसके विपरीत विप्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी की ओर से मनगढन्त तथ्यों के आधार पर आवेदन–पत्र पेश किया है,जो निरस्त योग्य है,क्योंकि प्रार्थी की खसरा संख्या 588/380 में आने जाने हेतु कदीमी रास्ता अन्य खसरे से मौजूद है,जो मात्र प्रार्थी के अपने खेत और राजकीय कटाण मार्ग के बीच में 15 फीट की दूरी है,जहां से प्रार्थी के अपने खेत में आने जाने के लिए नजदीक रास्ता कई वर्षो से चल रहा है। उक्त खसरा संख्या 592/379 के खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया गया है,इस कारण प्रार्थी का आवेदन खारिज योग्य है। विप्रार्थी के खेत में प्रस्तावित रास्ता पर पुराना कच्चा आवास है,जिसमें विप्रार्थी का परिवार सहित रहता है तथा मौका रिपोर्ट विप्रार्थी को बिना सूचित किए एकतरफा तैयार कर पेश की गई है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी का आवेदन–पत्र सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावें।

5. हमनें उभय–पक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं मौका जांच रिपोर्ट का गहनतापूर्वक अवलोकन कियाा तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु खसरा संख्या 591/379 में से 30 फीट चौड़ाई का रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया है। विप्रार्थी संख्या 01 की ओर से आपति करते हुए निवेदन किया कि प्रस्तावित रास्ता पर विप्रार्थी का कच्चा आवास बना हुआ है तथा मौके पर रास्ता मौजूद ही नहीं है। [illegible] से कम दूरी का खसरा संख्या 592/379 मे से ही प्रार्थी द्वारा रास्ता का [illegible] किया जा रहा है,जिन्हे पक्षकार भी नहीं बनाया गया है। इस कारण प्रार्थी का आवेदन खारिज किया जावें। विप्रार्थी संख्या 02 तहसीलदार कल्याणपुर ने मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु रिपोर्ट उपलब्ध करवाए गए,जिसके अनुसार :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.26 20:32:51 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

6. ग्राम गोदावास कलां तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 588/380 में आवागमन हेतु संलग्न नक्शा बरंग नीला में दर्शित भूमि निकटतम है,इसके अतिरिक्त प्रार्थी के खेत से राजकीय मार्ग तक पहुचने का निकटवर्ती विकल्प विधमान नहीं है,उक्त प्रस्तावित रास्ता ही निकटतम व प्रयुक्त होना बताया गया।

7. हस्तगत प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन हेतु हम धारा 251–क,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में संक्षिप्त जांच के संबध में वर्णित प्रावधान का उल्लेख करना आवश्यक समझतें है,जिसके अनुसारः–

i. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हैं; और

ii. अन्य खातेदार की जोत में से होकर,विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में,पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा,आवेदक को,अभिधारी,जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है,दर्शाया जाये,भूमि में से होकर,और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए,उस अभिधारी को,जो उस भूमि को धारित करता है,जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विधमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजुर किया जाये,ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये,अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है,कि प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होने पर नया रास्ता बनाने हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 588/380 में आवागमन हेंतु राजस्व रेकर्ड एवं मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं,अतः उक्त वर्णित धारा 251–क प्रावधानानुसार प्रार्थी की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता प्रमाणित होती है तथा आवागमन हेतु वैकल्पिक साधन के अभाव भी प्रार्थी द्वारा सिद्ध किया गया हैं। विप्रार्थी अधिवक्ता की ओर से आपति की गई कि विप्रार्थी खसरा संख्या 591/379 में प्रस्तावित रास्ता पर कच्चा आवास बना हुआ है तथा विप्रार्थी परिवार सहित निवास है तथा प्रस्[illegible] के अलावा नजदीक खसरा संख्या 592/379 मे से ही प्रार्थी आवागमन[illegible] के खातेदार को पक्षकार नहीं बनाए जाने के [illegible] प्रार्थी [illegible] खारिज किया जावे,उक्त तर्क स्वीकार योग्य नहीं है,क्योंकि यदि विप्रार्थी की भूमि मे [illegible]प्रस्तावित रास्ता पर कच्चा आवास बना होता,तो रिपोर्ट में उल्लेख होता,जो कि नहीं है तथा प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य नजदीक विकल्प होता तो भी रिपोर्ट में उल्लेख होता,जो कि प्रस्तावित रास्ता के अलावा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.26 20:32:51 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

अन्य विकल्प रास्ता नहीं होना का रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन है। इस प्रकार विप्रार्थी द्वारा जो उजर उठाए गए है,उनमें कोई सारभूत तथ्य निहित नहीं है। केवलमात्र मौखिक कथन किया है,जो कि अपने आप में गौण है। इस प्रकार प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है तथा नजदीक दूरी का रास्ता है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि प्रार्थी का आवेदन–पत्र स्वीकार योग्य है।

8. उक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 591/379 मे से रकबा 0.0070 हैक्टयर की सार्वजनिक रास्ता हेतु डी.एल.सी.दर 107671/–प्रति बीघा की दुगूनी प्रतिकर हेतु देय कुल राशि–1508/– रूपये बनती है,जिसको प्रार्थी राजकोष के निर्धारित शीर्ष में जमा करवाने हेतु सहमत है,अतः हम प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र वांछित अनुतोष अनुरूप स्वीकार करना उचित एवं न्यायसंगत समझते हैं।

<u>आदेश</u> :–

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है,तथा प्रार्थी के खातेदारी भूमि ग्राम गोदावास कलां तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 588/380 में पहुंच हेतु विप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी खसरा संख्या 591/379 में से क्षेत्रफल 0.0070 हैक्टयर (70 वर्गमीटर) की सार्वजनिक रास्ता हेतु मौका रिपोर्ट में दर्शित नक्शानुसार बरंग नीला भूमि सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग हेतु अनुज्ञात की जाती है। तहसीलदार कल्याणपुर को निर्देश प्रदान किये जाते है कि उक्त वर्णित भूमि का प्रतिकर 1508/–(अक्षरे एक हजार पांच सौ आठ) रूपयें की राशि विप्रार्थी संख्या 01 को भुगतान किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अंकन करे तथा मौके पर उक्त घोषित सार्वजनिक रास्ते का सीमाज्ञान किया जाकर प्रार्थी को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। अप्रार्थी प्रतिकर राशि नहीं लिए जाने की दशा में निर्धारित मयाद बाद राजकोष में नियमानुसार प्रतिकर राशि जमा करवाई जानी सुनिश्चित करावें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर लेख्य भंडार हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) * बालोतरा *

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.26 20:32:51 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 23.09.2024 को [illegible] गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा